संख्या-46/2015/1974 ई-2/तेरह-2015-45/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 16 सितम्बर,2015

विषय:-सैन्य इकाई **6 SIKH LI, PIN-912306 c/o 56 APO** द्वारा दिनांक 03-10-2015 से 06-10-2015 तक मनाये जाने वाले स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-19/नौ-781एफ/जी/अल्कोहल, दि0 26-8-2015 का क़पया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सैन्य इकाई **6 SIKH LI, PIN-912306 c/o 56 APO** द्वारा दिनांक दिनांक 03-10-2015 से 06-10-2015 तक मनाये जाने वाले स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी प्रतिफल फीस रू0 1,56,380.88(रूपये एक लाख छप्पन हजार तीन सौ अस्सी तथा पैसा अट्ठासी मात्र) में 50 प्रतिशत् अर्थात् रू0 78,190.44(रूपये अठहत्तर हजार एक सौ नब्बे तथा पैसा चौवालीस मात्र) की छूट अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उपभोग उत्तर प्रदेश में ही किया जायेगा एवं विषयगत अनुमति शासनादेश संख्या-5481ई-2/तेरह-92-338(5)/82, दिनांक 22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिसम्बर,1992 एवं शासनादेश संख्या-3115 ई-2/तेरह-95-338(5)/82, दिनांक 30 अक्टूबर,1995 में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-329/दस-2015, दिनांक 15 सितम्बर,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या-46/2015/1974(1) ई-2/तेरह-2015, तद्यदिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.

(3) मेजर/ले0 कर्नल, **6 SIKH LI, PIN-912306 c/o 56 APO**

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।